उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-67/950 /एक-1-2015-5(23)/2015

लखनऊ: दिनाँक: 07 दिसम्बर, 2015

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या- प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनाँक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनाँक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

<u>अनुसूची</u>

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतमबुद्धनगर	गौतमबुद्धनगर	दादरी	साकीपुर	6	0.007	औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु
2					7	0.051	
3					10	0.020	
4					11	0.030	
5					18	0.013	
6					21	0.063	
7					24	0.042	
8					26	0.065	
9					27	0.028	
10					40	0.048	
11					41	0.074	
12					44	0.007	
13					46	0.042	
14					50	0.016	
15					63	0.048	
16					64	0.028	

shasnadesh.up.nic.in

-2-

17					65	0.022	
18					66	0.056	
19					68	0.011	
20					71	0.013	
21					72	0.059	
22					79	0.067	
23					80	0.123	
24					85	0.019	
25					95	0.105	
26					96	0.031	
27					97	0.016	
28					100	0.023	
29					106	0.013	
30					107	0.057	
31					110	0.081	
32					111	0.031	
33					116	0.251	
34					121	0.029	
35					125	0.019	
36					131	0.087	
37					135	0.031	
38					139	0.015	
39					173	0.082	
40					177	0.071	
41					184	0.012	
42					185	0.014	
43					191	0.038	
44					192	0.018	
45					193	0.067	
46					202	0.006	

shasnadesh.up.nic.in

47					202	0.022	
48					213	0.007	

-3-

49					221 मि0	0.024	
50					227	0.054	
51					254	0.013	
52					256	0.045	
53					257	0.038	
54					261	0.051	
55					264	0.017	
56					265	0.051	
57					273	0.095	
58					275	0.069	
59					276	0.110	
60					279	0.132	
61					280	0.114	
62					285	0.051	
63					290	0.081	
64					294	0.022	
65					295	0.013	
66					301	0.008	
67					307	0.019	
68					312	0.031	
69					344	0.014	
70					347	0.041	
71					348	0.042	
72					358	0.067	
73					360	0.026	
74					365	0.050	
75					370	0.082	
76					372	0.108	

shasnadesh.up.nic.in

77					373	0.042	
78					396	0.030	
79					431	0.341	
80					435	0.051	

-4-

81					437	0.030	
82					447	0.084	
83					453	0.096	
84					465	0.018	
85					466	0.009	
86					474	0.038	
87					476	0.203	
88					487	0.020	
89					497	0.021	
90					502 मि0	0.025	
91					503	0.106	
92					559	0.041	
93					560	0.253	
94					561	0.126	
95					562	0.010	
96					563	0.191	
97					564	0.253	
98					565	0.010	
99					568	0.041	
100					569	0.033	
101					576	0.033	
102					580	0.087	
103					581	0.077	
104					591	0.028	
105					592	0.010	
106					595	0.137	

shasnadesh.up.nic.in

107					599	0.025	
108					600	0.057	
109					617	0.029	
110					618 मि0	0.013	
111					630	0.020	
112					631	0.052	

-5-

113					633	0.019	
114					637	0.076	
115					644	0.050	
116					645	0.017	
117					650	0.014	
118					651	0.177	
119					652	0.035	
120					655	0.014	
121					656	0.044	
122					671 मि0	0.126	
123					672	0.041	
124					674 मि0	0.013	
125					675 मि0	0.004	
126					680 मि0	0.097	
127					721 मि0	0.022	
128					86/739	0.006	
129					131/741	0.058	
130					139/750	0.013	
131					178/752	0.013	
132					313/749	0.013	
133					347/756	0.058	
134					347/755	0.035	
135					508/757	0.037	
136					613/746 मि0	0.005	

shasnadesh.up.nic.in

				योग	**कुल 136 गाटा**	**7.173 हे0**	

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-950(1)/एक-1-2015-5(23)/2015 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, गौतमबुद्वनगर को उनके पत्र संख्या-1289/डीएलआरसी/2007, दिनाँक

-6-

02.04.2008 एवं पत्र संख्या-48/डीएलआरसी/2015-16, दिनाँक 06.06.2015 के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियॉं कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- यह भी अपेक्षित है कि शासनादेश संख्या-1761/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53, दिनाँक 20.11.2015 के अनुसार भूमि की कीमत ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनाँक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉं-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉं" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉंछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। ग्राम सभा की उक्त भूमि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

3. ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के व्यापक जनहित को द्रष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा- चकमार्ग, सेक्टर मार्ग रास्ता व नाली की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि चकमार्ग, सेक्टर मार्ग व रास्ता की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ही ग्रामवासियों के आवागमन एवं नाली के माध्यम से हो रहे पानी के नैसर्गिक बहाव एवं सिंचाई की व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा। ग्राम सभा की भूमि का पुनर्ग्रहण केवल ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी योजना/कार्य हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा। उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

shasnadesh.up.nic.in

.4. ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-आबादी की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा। शासनादेश संख्या-963/एक-1-2004-1-1(10)/2002-15-रा0-1, दिनॉक 30.06.2004 के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण से किसी उत्तेजना की आशंका न हो।

5. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0 स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक

-7-

19-12-2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-950(2)/एक-1-2015-5(23)/2015 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4- विशेष कार्याधिकारी, ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एच0 169, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोयडा, जनपद गौतमबुद्वनगर ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in